**राजस्थान सरकार**
**वित्त (समन्वय) विभाग**

**क्रमांक : प. 20 (146) वित्त/समन्वय/2008–पार्ट** **जयपुर, दिनांक 16.05.2011**
17

**आदेश**

प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के आदेश क्रमांक : प. 20 (22)प्र.सू./सू.अ.प्र./2008 दिनांक 05.05.2011 के अनुसरण में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त वित्त विभाग से संबंधित अपीलों के संबंध में शासन सचिव, वित्त (बजट) एवं शासन सचिव, वित्त (राजस्व) को उनके अधीनस्थ अनुभागों के लिए प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग के अधीनस्थ अनुभागों के लिए भी शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग को प्रथम अपीलीय अधिकारी मनोनीत किया जाता है। अपीलों से संबंधित समस्त कार्य वित्त (समन्वय) विभाग द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

इस आदेश के अन्तर्गत इस अनुभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक प. 17 (8)वित्त/समन्वय/2005 दिनांक 03.06.2008 को एतद्द्वारा प्रत्याहरित किया जाता है।

**अतिरिक्त मुख्य सचिव, (वित्त)**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (बजट)
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व)
3. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय)
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
6. समस्त विशेषाधिकारी/उप शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आपके अनुभाग से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्य के लिए आपको लोक सूचना अधिकारी मनोनीत किया जाता है।

**विशेषाधिकारी**